न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 4/2020/अपील/आर्म्स एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 6.1.2020
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

दुर्गालाल आत्मज कन्हैयालाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम गुराडिया जोगा तहसील पचपहाड थाना मिश्रोली जिला झालावाड–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रोहित सिंह राजावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 3.2.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/लाईसेन्स/रिनीवल/न्याय/2018/167 दिनांक 8.1.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1520 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी द्वारा नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक झालावाड रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा पत्र क्रमाकं 8983 दिनांक 30.6.2017 से प्रेषित रिपोर्ट मे अनुज्ञापत्रधारियों के विरूद्ध संबधित थाने मे आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा न्यायालय मे विचाराधीन होने से नवीनीकरण किये जाने मे असहमति प्रकट की गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड की उक्त रिपोर्ट के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक मे जेरअपील आदेश क्रमांक/लाईसेन्स/रिनीवल/न्याय/2018/167 दिनांक 8.1.2018 (क.सं0 4 पर अंकित) से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त कर धारित शस्त्र संबधित थाने मे जमा कराने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत है। मु0 सं0 130/2011 पुलिस थाना भवानीमण्डी तथा एन. सी.बी. चैन्नई के मुकदमे मे अपीलांट दोषमुक्त किया जा चुका है। पूर्व मे वर्ष 2014 मे भी शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया गया था। मुकदमा दर्ज होने मात्र से ही शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। नवीनीकरण प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी मिश्रोली के पत्रांक 844/03 दिनांक 11.4.2007 मे अंकित अंकित दोनो मुकदमो मे प्रार्थी दोषमुक्त किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही आदेश से अपीलांट के अतिरिक्त 5 अन्य व्यक्तियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त कर विधिक त्रुटि की है। अतः जेरअपील आअदेश संख्या 167 दिनांक 8.1.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जाकर नवीनीकरण किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट का सरसरी तौर पर अवलोकन कर बिना युक्तियुक्त कारण के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने मे कानूनी त्रुटि की है। थानाधिकारी मिश्रोली की रिपोर्ट अनुसार दोनो मुकदमो मे अपीलांट दोषमुक्त किया जा चुका है। थानाधिकारी नवीनीकरण किये जाने मे असहमति व्यक्त नही की है। जिला

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मजिस्ट्रेट झालावाड द्वारा एक ही आदेश से 6 व्यक्तियों (अपीलार्थी कम सं0 4 पर दर्ज) के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने मे विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी मे नही आता है। पुलिस रिपोर्ट मे उल्लेखित दोनो मुकदमों का निर्णय हो चुका है जिसमे अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश अपास्त किया जावे तथा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख व जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1520 को पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट कमांक 8983 दिनांक 30.6.2017 से अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध संबधित थाने मे आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा न्यायालय मे विचाराधीन होने से नवीनीकरण की अनुशंसा नही की जाने पर अर्म्स एक्ट की धारा 17 के तहत अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र जेरअपील आदेश कमांक/लाईसेन्स/रिनीवल/न्याय/2018/167 दिनांक 8.1.2018 से (कम सं0 4 पर उल्लेखित) निरस्त किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि पुलिस रिपोर्ट मे उल्लेखित दोनो मुकदमों का निर्णय हो चुका है जिसमे अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तोर पर अवलोकन कर बिना कोई युक्तियुक्त कारण के शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर त्रुटि की है। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट कमांक 8983 दिनांक 30.6.2017 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मुक0 नं0 130/11 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट मे दर्ज होकर न्यायालय मे चालान पेश किया जाना वर्णित है इसी प्रकार एनसीबी चैन्नई 49.740 ग्राम 25.4.02 हिरोइन तथा मुक0 सं0 128/2000 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज होकर न्यायालय मे चालान पेश किया जाना उल्लेखित है। अपीलांट द्वारा अपने तर्क के समर्थन मे ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये है जिससे अपीलार्थी को उक्त विवेचित दोनो मुकदमों मे दोषमुक्त किया जाने की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपीलार्थी प्रश्नगत अपील प्रकरण मे कोई अनुतोष प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी होना प्रकट नही होता है। जैर अपील निर्णय एवं पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा न्यायालय मे विचाराधीन होने से प्रथम दृष्टया अपीलांट का आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट होता है तथा आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र का धारित रहना लोकशांति व लोकसुरक्षा के मध्य नजर कतई उचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 3.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा